राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 411/2012/जोधपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–चतुर्थ, जोधपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ओवियन टेक्नोब्लिस,
63, बी.जे.एस. कॉलोनी, मोहन नगर 'ए', जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री रामविलास सोनी, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 03/12/2014

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 27/आरवेट/जेयूए/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.07.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत–अ, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान 'ग्लास बीड्स' का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त माल को वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की किसी भी प्रविष्ठि में कवर नहीं होना मानते हुए अनुसूची–V अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए, 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रूपये 36,792/– एवं तदनुसार ब्याज रूपये 11,038/– का आरोपण कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2010 से किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील में अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2011 से उक्त अन्तर कर एवं ब्याज को अपास्त किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.............2

4. अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल ग्लास बीड्स वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की किसी भी प्रविष्ठि में इंद्राजित नहीं होने के कारण इस पर अनुसूची–V के अनुसार 12.5 की दर से करदेयता बनती है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज पूर्णतया विधिसम्मत होते हुए भी अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा बिक्रीत ग्लास बीड्स Abrasive की श्रेणी में आने के कारण अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 221 में कवर होते हैं। अतः इस पर 4 प्रतिशत की दर से ही करदेयता बनती है। विद्वान अभिभाषक ने Abrasive Blasting की Wikipedia में दी गई परिभाषा का हवाला दिया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

> "**Abrasive blasting** is the operation of forcibly propelling a stream of abrasive material against a surface under high pressure to smooth a rough surface, roughen a smooth surface, shape a surface, or remove surface contaminants."

6. विद्वान अभिभाषक ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति का हवाला दिया, जिसमें निम्नानुसार अंकन है :–

FORM 'B'
CERTIFICATE OF REGISTRATION

NO. : 08452557516 (Central)

This is to certify that **M/s OVION TECHNOBLIES** whose principal place of business within the state of **Rajasthan** is situated at **63, Mohan Nagar A, Captain Chain Singh Marg, B.J.S. Colony, Jodhpur** was registered under the repealed Act with effect from 20.03.2006 and under Rajasthan VAT Act, 2003 with effect from 01.04.2006.

The Following is the description goods dealt in :

Intend to Purchase	**Intend to Sale**
ABRASIVES, BLASTING MEDIA, MINERALS, MINERAL BASED PRODUCTS, BUILDING, MATERIALS, SANITARY GOODS, HARDWARE GOODS, IRON & STEEL, GLASS, ADHESIVE, ELECTRIC & ELECTRONIC GOODS, READYMADE GARMENTS, MACHINERY, SPARE PARTS & ACCESSORIES, AUTOMOBILE GOODS, OIL & LUBRICANTS, PACKING MATERIAL, GENERAL MERCHANDISE GOODS, SUPPLIERS, **GLASS BEADS(1*A),** FLAKES(1*A), GLASS POWDER (1*A), GASS GRANULES(1*A)	**ABRASIVES,** BLASTING MEDIA, MINERALS, MINERAL BASED PRODUCTS, BUILDING, MATERIALS, SANITARY GOODS, HARDWARE GOODS, IRON & STEEL, GLASS, ADHESIVE, ELECTRIC & ELECTRONIC GOODS, READYMADE GARMENTS, MACHINERY, SPARE PARTS & ACCESSORIES, AUTOMOBILE GOODS, OIL & LUBRICANTS, PACKING MATERIAL, GENERAL MERCHANDISE GOODS, SUPPLIERS, **GLASS BEADS(1*A),** FLAKES(1*A), GLASS POWDER (1*A), GASS GRANULES(1*A)

लगातार.............3

7. विद्वान अभिभाषक ने दक्षिण रेलवे द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को जारी टेण्डर दिनांक 17.03.2008 का हवाला दिया गया है, जिसमें निम्नानुसार अंकन है :-

Tender No.	Description	Qty Unit	Consg Name	Dely Terms
58085227	**Abrasive glass beads to grade ad and size 106-212 microns 721150-B-5 mesh for blasting machine.**	250.000 KGS.	SMM/DSD/ED	EX STOCK

8. इसी प्रकार दक्षिण रेलवे द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को जारी परचेज ऑर्डर दिनांक 07.01.2008 की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसमें निम्नानुसार है :-

SOUTHERN RAILWAY
PO No. 48/07/6181/1/65873

PURCHASE ORDER
Dated 07-01-2008

STORES DEPARTMENT
NON-STOCK

FROM,
Deputy Chief Materials Manager,
Diesel Stores Depot
Golden Rock (Shop) Tricky - 620004
Phone:0431-2490742 Telefax: 0431-2491387

Ovion Technobliss
No-63, MOhan Nagar,
'A' Capt, Chain Singh Marg,
B.J.S. Colony,
JODHPUR-342010
Tel No. 0291-2530310

With refrence to your Quatation Number NIL Dated:17.12.2007 please deliver to the consignee mentioned below, the under mentioned articles free of incidental charges subject to Indian Railways Standard Conditions of Contract, latest edition and General Conditions of Contract for the Stores Department of this Railway and to addendum to the same subject applicable to this contract.

Item Descrioption **ABRASIVE GLASS BEADS GRADE AD B SIZE: 106-212-MICRONS. 721150. B.S. MESH FOR ABRASIVE BLASTING. (IN STD PACKING OF 10 KG EACH).**

9. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टान्त **27 टैक्स अपडेट 197 मैसर्स पेन्ट हाऊस, गोपाल बाड़ी, जयपुर बनाम अतिरिक्त आयुक्त (विधि), मुख्यालय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर** का हवाला दिया, जिसमें निम्न निष्कर्ष प्रदान किया गया है :-

> Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, section 36-Notification No. F.12(63)/FD/Tax/2005-06 dated 01.06.2006-Classification of goods-Determination of rate of tax on 'Auto Lacquers and Abressive paper'. The Additional Commissioner (Legal) determined rate of tax on 'Auto Lacquers and Abressive paper @ 12.5%'. While allowing the appeal, the Rajasthan Tax Board held that:-"on above rate of tax the contents of provisions have been changed inasmuch as while including the Abressive paper (Regmal/Rejmal) are also included in it. Hence on this point also the order of Addl. Commissioner is neither proper nor in accordance with law and hence rate of tax on Auto Lacquers and abressive paper (Regmal/Rejmal) is determined @4% with effect from 01.04.2006"

10. विद्वान अभिभाषक ने Wikipedia में उल्लेखित Description का भी हवाला दिया है, जो निम्नानुसार है :-

लगातार.............4

Name	Mesh Size	Size (mm)	Description
1	2	3	4
Chilled Iron Grit	8-120	2.00-0.09	It is ideally suited for fast cleaning of heavy contamination on ferrous castings, forgings, fabricated parts and pipes. It is not recommended on a non ferrous components as the surface blasted is iron contaminated.
Steel Grit	12-52	1.40-0.30	Suitable for obtaining consistent surface roughness on ferrous castings, fabricated parts, steel rolls. It is not suitable on a non ferrous parts like aluminum, brass, and zinc, wood and plastic.
Chilled Iron Shots	8-52	2.00-0.30	Its general purpose is cleaning, descaling, deburring, deflashing, shot peening on components of iron and steel. It can be used for commercial cleaning on castings of aluminum and zinc.
Steel Iron Shots	8-52	2.00-0.30	Its general purpose is cleaning, descaling, deburring, deflashing, shot peening on components of iron and steel. It can be used for commercial cleaning on castings of aluminum and zinc.
Steel cut Wire	CW 54-12	1.40-0.30	Its general purpose is cleaning, descaling, deburring, deflashing, finishing, shot peening on components of iron and steel. It can be used for commercial cleaning on castings of aluminum and zinc.
Aluminum Oxide	12-240	1.40-0.06	It is suitable for both dry and wet blasting at a faster rate. It is recommended for both ferrous and non ferrous components without iron contaminants on treated parts.
Plastic Grit-Acrylic and Urea	18-36	0.85-0.42	It is suitable for precise descaling, deflashing, deburring, shining or removal of old paint, varnish etc. from precision components while keeping the dimensional tolerances and finish intactly.
Glass Beads	**18-350**	**0.85-0.04**	**It is suitable for both dry and wet blasting to gently clean, descale, deflash, deburr or shot peen at a low intensity on parts of SS, alloy steel where material removal allowed is negligible.**
Nylon Shots			suitable for precise descaling, deflashing, deburring, shining or removal of old paint, varnish etc., from precision components while keeping the dimensional tolerances and finish intact.

11. उक्त आधारों पर विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद 'ग्लास बीड्स' को Abrasive की श्रेणी में होने से अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 221 से आच्छादित बताते हुए, 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य बताया एवं राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

12. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया।

13. हस्तगत प्रकरण में विवाद का बिन्दु कर निर्धारण वर्ष 2007—08 की अवधि में अपीलार्थी द्वारा बेचे गये माल एब्रेसिव ग्लास बीड्स पर कर दर का सन्निहित है। वेट अधिनियम की धारा 4 कर के उद्ग्रहण व इसकी दर का प्रावधान करती है, जो निम्न प्रकार है :—

4. Levy of tax and its rate. –

(1) Subject to the other provisions of this Act and the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the tax payable by a dealer under this Act, shall be at such point or points, as may be prescribed, in the series of sales by successive dealers and shall be levied on the taxable turnover of sale of goods specified in Schedule III to Schedule VI at the rate mentioned against each of such goods in the said Schedules.

14. अपीलार्थी द्वारा बेचे गये माल एब्रेसिव ग्लास बिड्स के सम्बन्ध में Schedule-IV के पार्ट—'बी' की प्रविष्ठि संख्या 221 निम्न प्रकार है :—

S.No.	Description of Goods	Rate of Tax %
221	Abrasives and emery stone	5

15. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रविष्ठि संख्या 221 में Glass Bead दर्ज नहीं होने के कारण को आधार मानते हुए इस प्रविष्ठि की विहित कर दर लागू नहीं करते हुए अनुसूची—V की Residuary Entry की दर 12.5 प्रतिशत लागू होना मानते हुए 12.5 की दर से कर उद्ग्रहण किया है। कर निर्धारण आदेश में लिखा है कि —

> "सेड्यूल IV पार्ट—B की Entry No - 221 में (Abrasive and Emery Stone) दर्ज है साथ ही दि0 9.3.07 को Abrasive Stone (Batti) को जोड़ा गया है उक्त Entry No-221 में Glass Bead दर्ज नहीं है।"

16. अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2005—30 दिनांक 28.4.2006 से अनुसूची—IV पार्ट—'बी' की प्रविष्ठि संख्या 221 निम्न प्रकार है :—

221. Abrasives Stone (Batti) and emery stone - 5%

17. अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007/138 दिनांक 09.03.2007 के द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :—

"For the existingentries inColumn No. 2 against S.No. 221, for entries 'Abrasives and emery stone' shall be substituted."

18. इस प्रकार Abrasive Glass Bead प्रविष्ठि संख्या 221 "Abrasives and Emery Stone" से आच्छादित है या नहीं है ? उक्त प्रविष्ठि में 'Abrasives' बहुवचन है, जिसमें विभिन्न Abrasives शामिल होते हैं।

लगातार.............6

19. अपीलार्थी के पंजीयन प्रमाण–पत्र में जिसका वर्णन पैरा 6 में है, के अनुसार विभिन्न प्रकार के Abrasives का विक्रय किये जाने की प्रविष्ठि विद्यमान है।

20. माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टान्त **27 टैक्स अपडेट 197** की व्यवस्था के प्रकाश में इस पीठ का सुविचारित निष्कर्ष है कि अपीलार्थी द्वारा बेचे जाने वाले माल Abrasive Glass Bead पर अनुसूची–IV के पार्ट–'बी', की प्रविष्ठि संख्या 221 से आच्छादित होने के कारण इस पर तदनुसार विहित कर दर 4 प्रतिशत लागू होगी।

21. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

22. परिणामतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

23. निर्णय सुनाया गया।

3/12/14

(मनोहर पुरी)
सदस्य

3/12/14

(सुनील शर्मा)
सदस्य